



UPHR010048882026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थित: रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2334/2026

1-इमरान उर्फ इमरान अंसारी पुत्र मो० अजीम अंसारी निवासी मो० मीरा बस्ती शाहाबाद देहात जिला हरदोई।

2-तारिक उर्फ मोहम्मद तारिक पुत्र कल्लन उर्फ वली अहमद निवासी मो० महुआ टोला शाहाबाद थाना शाहाबाद जिला हरदोई-----आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार-----विपक्षी।

दिनांक: 29.07.2026

1- यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण इमरान उर्फ इमरान अंसारी एवं तारिक उर्फ मोहम्मद तारिक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-200/2026 अन्तर्गत धारा-310(2), 352, 351(3), 324(4), 190, 191(2), 193(3) बी०एन०एस० थाना शाहाबाद जनपद हरदोई के प्रकरण में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के पृथक-पृथक शपथपत्र प्रस्तुत कर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को सही व सत्य बताया है।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वादी मुकदमा की मण्डी गेट अल्हापुर इब्नेजई पर न्यू गुप्ता फर्टिलाइजर्स के नाम से फर्म है। उसकी फर्म के पास किराना जनरल स्टोर, जिसके प्रोपराइटर अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, करिश्मा पशु आहार प्रो० कृष्णकान्त श्रीवास्तव व टायर पंचर की दुकान प्रो० उमेश कुमार शर्मा की है। दिनांक 05.04.2026 की सुबह 11.00 बजे लगभग अचानक जाहिर, हारिस व सलमान सिद्धकी उर्फ लकी लगभग 60 व्यक्ति जिसमें लगभग 10 महिलाएँ अज्ञात थी। सभी उपद्रवियों के पास लाठी, डण्डे, सरिया, लोहे के राडे आदि थी। जाहिर, हारिस व सलमान आदि चिल्लाएँ, सभी दुकानों का सामान फेंक दो। सभी उपद्रवियों ने वादी मुकदमा की दुकान के साथ उसके तीन पड़ोसी की दुकानों पर हमला कर दिया। दुकानों में

तोड़फोड़ के साथ सभी दुकानों का सामान सड़कों पर फेंकने लगे। वादी मुकदमा एवं सभी दुकानदारों ने विरोधक प्रयास किया तो तारिक व इमरान ने लोहे की राड़ों को दिखाते हुए उपद्रवियों से कहा गल्ले से पैसा निकाल लो, तो कुछ उपद्रवियों द्वारा सभी दुकानदारों के व्यापारिक रजिस्ट्रेशन के कागजात आदि उठा लिए। वादी मुकदमा की गुल्लक में लगभग 3,400/-रुपये, किराना जनरल स्टोर की गुल्लक में लगभग 2,000/- रुपये व करिश्मा पशु आहार के लगभग 3,500/- रुपये तारिक व इमरान के इशारे पर उपद्रवियों द्वारा वादी मुकदमा एवं पड़ोसी दुकानों पर लूटपाट करने लगे। शोरगुल सुनकर पड़ोसी दुकानदार जमा होने लगे तो हारिस व जाहिर द्वारा लोगों को ललकारते हुए कहा अगर पास आओगे जान से मार देंगे जिससे लोग भयभीत होकर पीछे हट गये एवं अपनी-अपनी दुकानों पर दुबक गये। तभी अचानक सायरन बजाते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँच गयी तब सभी उपद्रवी मौके से फरार हो गये। उपरोक्त सभी उपद्रवियों ने एक राय होकर घटना कारित की है।

4- आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने शाहाबाद नगर पालिका में चेयरमैन पद पर चुनाव लड़े थे और इस बार भी प्रत्याशी हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा समय-समय पर वर्तमान चेयरमैन द्वारा की जा रही अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था, जिस कारण से उनसे चुनावी रंजिश मानते हुए विपक्षी ने गलत तरीके से फंसा दिया है। पुलिस द्वारा उप जिलाधिकारी शाहाबाद को प्रेषित रिपोर्ट में लिखा गया है कि दोनों पक्षों में दुकान की कब्जेदारी को लेकर विवाद है। आवेदकगण/अभियुक्तगण घटना की दिनांक व समय पर घटनास्थल पर नहीं थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 8 घंटे विलम्ब से अंकित करायी गयी है। उपरोक्त मुकदमे में जो गवाह हैं, वे वादी मुकदमा व दुकान पर जबरिया कब्जा किए हुए किराएदार हैं। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रस्तुत घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर चोट आने का उल्लेख नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर दर्ज करायी गयी है। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किये गए हैं कि आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए अवैध रूप से लाठी, डंडे व लोहे की राँड से लैस होकर वादी मुकदमा तथा उसके पड़ोसियों की दुकानों पर हमला करते हुए तोड़फोड़ कर सामान सड़क पर फेंका गया एवं गल्ले से नकदी व व्यापारिक

कागजात आदि की लूट कारित की गयी है। अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6- अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.04.2026 की सुबह 11.00 बजे आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर लगभग 60 व्यक्ति जिसमें लगभग 10 महिलाएँ अज्ञात तथा सभी उपद्रवियों के पास लाठी, डण्डे, सरिया, लोहे के राडे थीं, के साथ वादी मुकदमा की दुकान के साथ उसके तीन पड़ोसियों की दुकानों पर हमला करके, उनमें तोड़फोड़ करके, दुकानों का सामान सड़क पर फेंक दिया, उनके गल्ले से पैसा निकाल लिए तथा व्यापारिक रजिस्ट्रेशन के कागजात आदि उठा ले गए तथा लूटपाट की गयी। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा शोरगुल पर एकत्रित हुए पड़ोसी दुकानदारों को जान से मारने की धमकी देना कहा गया है। मामले में बरामदगी का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है।

8- मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य एवं अपराध की प्रकृति व उसकी गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण इमरान उर्फ इमरान अंसारी एवं तारिक उर्फ मोहम्मद तारिक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 29.07.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।